



डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:- R/609/2016

दिनांक:- 10-10-2016

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के परिनियम "Career advancement scheme" के बिन्दु-18 (II) एवं परिनियम 11.16 के अनुपालन में कुलपति महोदय के आदेशान्तर्गत Screening/Selection Committee के सदस्यों, यथा डायरेक्टर आफ हायर एजुकेशन अथवा उनके नामित, कुलपति महोदय द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ एवं निदेशक कॉलेज विकास परिषद, का यात्रा भत्ता एवं डेली एलाउन्स आदि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

यदि उक्त संदर्भ में कोई संशय हो तो उसका निराकरण निदेशक कॉलेज विकास परिषद से प्राप्त करें एवं निदेशक कॉलेज विकास परिषद के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, कुलपति सचिवालय।
2. निदेशक, कॉलेज विकास परिषद।
3. उपकुलसचिव प्रशासन।
4. एजेन्सी 2015 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव